न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

बजाज फाइनेन्स लि. **बनाम** सायरा बानू आदि

किस्म मुकदमाः– प्रा.पत्र प्रतिभूतिकरण अधिनियम 2002 मुकदमा नम्बर ......100....... / 2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.03.26	पत्र **बजाज फाइनेन्स लि.** की ओर से वकील **श्री प्रेम प्रकाश शर्मा** द्वारा प्रस्तुत किये गये। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। ऋणी / अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किया जाकर दिनांक 20.04.26 को पेश हो (मुकुल शर्मा) **जिला मजिस्ट्रेट सीकर**	नोटिस प्रेषित 13.03.26
20.04.26	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी कि ओर से वकील श्री आस्था शर्मा ने वकालतनामा पेश किया है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18.05.26 को पेश हो।	

(1)

पता रजिस्टर्ड

नाम न्यायालय.जिला कलैक्टर, सीकर जिला सीकर

उभय पक्ष का नाम बजाज फाईनेन्स लि. बनाम सायरा बानू पत्नी हकीम

प्रार्थना पत्र की संख्या 106/2026

नाम मय पता व जाति –	पता–	जिला	प्रान्त	डाकखाना
बजाज फाईनेन्स लि. जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता आदित्य माथुर	ब्रांच ऑफिस – द्वितीय तल मैन रोड राजस्थान	जयपुर	राज.	जयपुर

जब तक उपरोक्त पते मे माननीय न्यायालय के समक्ष परिवर्तन न करुं तब तक इसी पते पर सूचना पत्र भेजा जावे । यदि पता परिवर्तन करूगा तो माननीय न्यायालय के समक्ष परिवर्तित पते की सूचना पेश करूगा।

दिनांक 26/02/2026

हस्ताक्षर

BAJAJ FINANCE LIMITED

PZ84PDB9133925

समक्ष माननीय न्यायालय जिला कलैक्टर महोदय,

सीकर जिला सीकर

प्रार्थना पत्र संख्या 100/2026

बजाज फाईनेन्स लि.

बनाम

सायरा बानू पत्नी हकीम व अन्य

<u>*विवरणिका*</u>

क्रमांक संख्या	*विवरण*	*पेज नम्बर*
1	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सरफेसी एक्ट	1 to 5
2	शपथ पत्र	6 to 10
3	प्रकरण का विवरण, न्यायनिर्णय, गजट नोटिफिकेशन	13 to 22
4	अनुबन्ध पत्र, बिल	23 to 86
5	धारा 13(2) नोटिस मय रसीद, 8(1) मय रसीद पेपर, ट्रेकिंग रिपोर्ट	88 to 89, 176-183
6	रिर्टन ए. डी. /ट्रेकिंग रिपोर्ट/ पेपर पब्लिकेशन	90 to 175
7	गिरवी अचल सम्पत्ति के दस्तावेज, विद्युत बिल	184-185-87
8	पॉवर ऑफ अटार्नी	12

प्रार्थी/सिक्योर केडिटर

जरिये अधिवक्तागण

नीरज शर्मा/राकेश अजमेरा/मारुति शर्मा/रामजीलाल शर्मा/अकरम/करमजीत सिह/

प्रेम प्रकाश शर्मा / श्रीमती विद्या जोशी

PZ84PDB9133925

समक्ष माननीय न्यायालय जिला कलैक्टर महोदय,

सीकर जिला सीकर

(3)

प्रार्थना पत्र संख्या 100 / 2026

बजाज फाईनेन्स लि. ऑफिस– बजाज आटो लि. कम्पलेक्स, मुम्बई पुणे रोड आकुरडी पुणे 411035 तथा ब्रांच ऑफिस – द्वितीय तल मैन रोड राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी आदित्य माथुर

.............प्रार्थी / सिक्योर कैडिटर

<u>बनाम</u>

1. सायरा बानू पत्नी हकीम
   निवासी– वार्ड न. 03 लोसल छोटी सीकर 332025 अन्य पताः पटटा एस आर न. 148, वार्ड न. 04 तेलियो का मोहल्ला, लोसल तहसील दातारामगढ जिला सीकर 332025
   विधिक उत्तराधिकारी– ऋणी स्व. हकीम पुत्र मोईनूद्धीन
2. अब्दुल करीम
   निवासी– वार्ड न. 03 लोसल छोटी सीकर 332025 अन्य पताः पटटा एस आर न. 148, वार्ड न. 04 तेलियो का मोहल्ला, लोसल तहसील दातारामगढ जिला सीकर 332025
   विधिक उत्तराधिकारी– ऋणी स्व. हकीम पुत्र मोईनूद्धीन
3. अब्दुल अजीम
   निवासी– वार्ड न. 03 लोसल छोटी सीकर 332025 अन्य पताः पटटा एस आर न. 148, वार्ड न. 04 तेलियो का मोहल्ला, लोसल तहसील दातारामगढ जिला सीकर 332025
   विधिक उत्तराधिकारी– ऋणी स्व. हकीम पुत्र मोईनूद्धीन
4. अब्दुल अमीन
   निवासी– वार्ड न. 03 लोसल छोटी सीकर 332025 अन्य पताः पटटा एस आर न. 148, वार्ड न. 04 तेलियो का मोहल्ला, लोसल तहसील दातारामगढ जिला सीकर 332025
   विधिक उत्तराधिकारी– ऋणी स्व. हकीम पुत्र मोईनूद्धीन
5. शकीला बानू
   निवासी– वार्ड न. 03 लोसल छोटी सीकर 332025 अन्य पताः पटटा एस आर न. 148, वार्ड न. 04 तेलियो का मोहल्ला, लोसल तहसील दातारामगढ जिला सीकर 332025
   विधिक उत्तराधिकारी– ऋणी स्व. हकीम पुत्र मोईनूद्धीन
6. शबनम बानू
   निवासी– वार्ड न. 03 लोसल छोटी सीकर 332025 अन्य पताः पटटा एस आर न. 148, वार्ड न. 04 तेलियो का मोहल्ला, लोसल तहसील दातारामगढ जिला सीकर 332025
   विधिक उत्तराधिकारी– ऋणी स्व. हकीम पुत्र मोईनूद्धीन
7. जाजम बानू
   निवासी– वार्ड न. 03 लोसल छोटी सीकर 332025 अन्य पताः पटटा एस आर न. 148, वार्ड न. 04 तेलियो का मोहल्ला, लोसल तहसील दातारामगढ जिला सीकर 332025
   विधिक उत्तराधिकारी– ऋणी स्व. हकीम पुत्र मोईनूद्धीन
8. सायरा पत्नी हकीम
   निवासी– वार्ड न. 03 लोसल छोटी सीकर 332025

सहऋणी

BAJAJ FINANCE LIMITED

PZ84PDB9133925

(5)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्सियल एसेटस एण्ड एनर्फोसमेंट ऑफ सिक्योरिटि इन्टरेस्ट एक्ट 2002 एतद पश्चात "एक्ट" से संबोधित किया गया है बंधक संम्पति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

मान्यवर,

प्रार्थी निम्नानुसार निवेदन करता है–

1. यह कि प्रार्थी फाइनैंन्स कम्पनी ने अप्रार्थी / ऋणीगण को कुल रुपये 1680279/– (रुपये सोलह लाख अस्सी हजार दौ सौ उनासी) ऋण सुविधा जरिये ऋण अनुबंध सं PZ84PDB9133925 दिनांक 14/Sep/23 को उपलब्ध करायी गयी थी व अप्रार्थी/ऋणीयों/जमानतदारों द्वारा प्राप्त किये गये उक्त ऋण सुविधा के ऐवज मे सम्पति स्थित आवासीय पटटा एस आर न. 148 वार्ड न. 04 तेलियो का मोहल्ला लोसल तहसील दातांरामगढ जिला सीकर 332025 क्षेत्रफल 1886.91 वर्गफुट को बंधक रखा था।
2. यह कि अप्रार्थी/ऋणीगण ने उपलब्ध ऋण को फाइनैंन्स कम्पनी के साथ किये गये ऋण अनुबन्ध की शर्तो के नियमानुसार नहीं चुकाया जिसकी वजह से उक्त खाता को दिनांक 31/Dec/2024 को एन पी ऐ घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणीगण के ऋण खातें में कुल रु 2054536. /– (रुपये बीस लाख चौवन हजार पांच सौ छत्तीस) दिनांक 13/Oct/2025 तक ब्याज शामिल करते हुये तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे बकाया निकलते है।
3. यह कि उक्त ऋणी को "एक्ट" की धारा 13 (2) के अर्न्तगत प्रार्थी फाइनैंन्स कम्पनी ने ऋणी अप्रार्थीगण को दिनांक 13/Oct/2025 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये। परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी आज प्रार्थना पत्र दायरी तक अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवायी गयी व न ही बंधकशुदा संम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया।
4. यह कि ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर अन्दर ऋण राशि कुल रु 2054536. /–(रुपये बीस लाख चौवन हजार पांच सौ छत्तीस) दिनांक 13/Oct/2025 तक ब्याज शामिल करते हुये तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे जमा करवाना था परन्तु ऋणी एवं जमानती ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नंहीं करवाने के कारण एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कब्जे व नीलामी की कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।
5. यह कि एक्ट की धारा के अर्न्तगत प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थी बैक को निम्न बंधक सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा लेने व कायम रखने में सहायता आवश्यक है, के कारण प्रार्थी फाइनैंन्स कम्पनी ने माननीय न्यायालय के समक्ष बैक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबधित डाक्यूमेन्टस कब्जा प्रार्थी फाइनैंन्स कम्पनी को दिलवाने व कायम रखने के लिये एवं प्रतिभूत आस्तियों के सूचारु रुप से विकय एवं अन्तरण (नीलामी) हेतु उपरोक्त प्रार्थना –पत्र प्रस्तुत है।
6. यह कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस बी सिविल रिट पिटीसन नम्बर 14449/2025 टाइगर होम फाइनेन्स प्रा लि बनाम राज्य सरकार व अन्य में दिनांक 30/10/25 को आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया गया है कि There is no provision under

BAJAJ FINANCE LIMITED

PZ84PDB9133925

section 14 of the Act of 2002 which may authorize the learned Magistrate to direct the secured creditor to deposit any expenses of police assistance in taking possession of the secured asset. And the petitioner is directed to move execution application before the concerned police authorities to comply with the impugned order passed by the Chief Judicial Magistrate. एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा भी एस बी सिविल रिट पिटीसन नम्बर 2310/2022 Valeed Ahmed versus The Commissioner of Police Jodhpur में दिनांक 19/04/22 को आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया गया है कि this writ petition is allowed. The impugned demand raised by the respondent no-1 vide order dated 1/2/22 is hereby set-aside. The commissioner of police jodhpur is directed to provide the sufficient police force for the purpose of execution of the decree of the court to the petitioners or the court commissioner within a period of 10 days from today. अत प्रार्थी को पुलिस इमदाद बाबत खर्चा जमा कराने की आवश्यकता नही है।

7. यह कि फाइनैंन्स कम्पनी सिक्योरिटीज का विवरणः—

सम्पति स्थित आवासीय पटटा एस आर न. 148 वार्ड न. 04 तेलियो का मोहल्ला लोसल तहसील दातांरामगढ जिला सीकर 332025

क्षेत्रफल 1886.91 वर्गफुट

पूर्व दिशा मे मुस्लिम बिसायती

पश्चिम दिशा मे रोड

उत्तर दिशा मे विजय कुमार शर्मा का मकान

दक्षिण दिशा मे याकुब खान व रास्ता

उक्त बन्धक सम्पत्ति मान्यवर के क्षेत्राधिकार में स्थित है।

अतः प्रार्थी बैंक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना—पत्र को एकपक्षीय स्वीकार कर प्रार्थना पत्र की मद संख्या—7 में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी फाइनैंन्स कम्पनी को सूपूर्द करवाने व कब्जा कायम रखने के लिये एवं प्रतिभूति आस्तियों के सूचारु रुप से विकय एवं अतरण (नीलीमी) हेतु पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध करवाने के आदेश फरमाने की कृपा करें व प्रकरण को अन्तिमरूप से निस्तारित फरमाने की कृपा करें।

दिनांक 26/02/2026

BAJAJ FINANCE LIMITED

प्रार्थी / सिक्योर्ड क्रेडिटर

जरिये अधिवक्तागण

नीरज शर्मा / राकेश अजमेरा / मारूति शर्मा / रामजीलाल शर्मा / अकरम / करमजीत सिह

प्रेम प्रकाश शर्मा / विद्या जोशी

PZ84PDB9133925

(6)

समक्ष माननीय न्यायालय जिला कलैक्टर महोदय,

सीकर जिला सीकर

प्रार्थना पत्र संख्या 100 / 2026

बजाज फाईनेन्स लि.

बनाम

सायरा बानू पत्नी हकीम व अन्य

शपथ पत्र

मैं श्री आदित्य माथुर उम्र वर्ष प्राधिकृत अधिकारी बजाज फाईनेन्स लि., ऑफिस– बजाज आटो लि. कम्पलेक्स, मुम्बई पुणे रोड आकुरडी पुणे 411035 व ब्रांच ऑफिस – द्वितीय तल मैन रोड राजस्थान सशपथ बयान करता हॅ कि–

1. यह कि प्रार्थी फाइनैंन्स कम्पनी ने अप्रार्थी / ऋणीगण को कुल रुपये 1680279 / – (रुपये सोलह लाख अस्सी हजार दौ सौ उनासी) ऋण सुविधा जरिये ऋण अनुबंध सं PZ84PDB9133925 दिनांक 14/Sep/23 को उपलब्ध करायी गयी थी व अप्रार्थी ऋणीयों / जमानतदारों द्वारा उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज मे सम्पति स्थित आवासीय पटटा एस आर न. 148 वार्ड न. 04 तेलियो का मोहल्ला लोसल तहसील दातांरामगढ जिला सीकर 332025 क्षेत्रफल 1886.91 वर्गफुट को बंधक रखा था।
2. यह कि अप्रार्थी / ऋणीगण ने उपलब्ध ऋण को फाइनैंन्स कम्पनी के साथ किये गये ऋण अनुबन्ध के नियमानुसार नहीं चुकाया जिसकी वजह से उक्त खाता को दिनांक 31/Dec/2024 को एन पी ऐ घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी / ऋणीगण के ऋण खातें में कुल रु 2054536. / –(रु रुपये बीस लाख चौवन हजार पांच सौ छत्तीस) दिनांक 13/Oct/2025 तक ब्याज शामिल करते हुये तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे बकाया निकलते है।
3. यह कि उक्त ऋणी को "एक्ट" की धारा 13 (2) के अन्र्तगत प्रार्थी फाइनैंन्स कम्पनी ने ऋणी अप्रार्थीगण को दिनांक 13/Oct/2025 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये। परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी आज प्रार्थना पत्र दायरी तक अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवायी गयी व न ही बंधकशुदा संम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी फाइनैंन्स कम्पनी को दिया गया।
4. यह कि ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर अन्दर ऋण राशि कुल रु 2054536. / –(रुपये बीस लाख चौवन हजार पांच सौ छत्तीस) दिनांक 13/Oct/2025 तक ब्याज शामिल करते हुये तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे जमा करवाना था परन्तु ऋणी एवं जमानती द्वारा उपरोक्त नोटिस के अनुसार सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नंहीं करवाने के कारण एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कब्जे व नीलामी की कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।
5. यह कि वित्तीय सहायता के प्रतिसंदाय में ऐसे व्यतिक्रम के परिणामस्वरुप मद नं 1 में वर्णित ऋणियो के खाते को एक अपालन आस्ति के रुप में वर्गीकृत किया गया है।

BAJAJ FINANCE LIMITED

PZ84PDB9133925

(7)

6. यह कि यह अभिपुष्ट करते हुये कि धारा 13 की उपधारा (2) के उपबंधों द्वारा तथा अपेक्षित साठ दिन की अवधि की सूचना, जिसमें व्यतिक्रम वित्तीय सहायता का संदाय करने की मांग की गयी है मद नं 1 में वर्णित ऋणियों को तामील की गयी है तथा प्रार्थी फाइनैंन्स कम्पनी को अप्रार्थीगण ऋणी से उपरोक्त नोटिस के सम्बन्ध में कोई आपत्ति–प्रस्तुतिकरण प्राप्त नही हुआ है। ।

7. यह कि उपयुर्क्त सूचना के होते हुये भी मद नं 1 में वर्णित ऋणियों ने 13 (2) नोटिस के अनुसार मांग की गयी राशि 2054536. /–(रुपये बीस लाख चौवन हजार पांच सौ छत्तीस) दिनांक 13/Oct/2025 तक ब्याज शामिल करते हुये तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे का प्रतिसंदाय नही किया है और प्राधिकृत अधिकारों इसलिए मूल अधिनियम की धारा 14 के साथ पठित धारा 13 की उपधारा (4)के उपबंधो के अधीन प्रतिभूत आस्तियों को वास्तविक कब्जे में लेने का हकदार है।

8. यह कि सम्बन्धित ऋण खाते में सरफैसी एक्ट के निर्धारित प्रावधानों एवं उसके अन्तर्गत नियमों की पालना की जा चुकी है एवं की जा रही है।

9. यह कि सम्बन्धित ऋण खाते में सरफेसी एक्ट के अंतर्गत किसी अन्य न्यायालय में कोई भी प्रकरण लम्बित नही है।

10. यह कि इस शपथ–पत्र को प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंश व भाग मानकर पढा जावें।

BAJAJ FINANCE LIMITED

शपथग्रहीता

दिनांक 26/02/2026

जयपुर

सत्यापन

मै आदित्य माथुर उपरोक्त शपथग्रहीता सत्यापित करता हूॅ कि उपरोक्त शपथ पत्र की मद संख्या 1 लगायत 10 में वर्णित तथ्य कम्पनी रिकार्ड के अनुसार सत्य व सही है। कुछ भी छुपाया नही है। ईश्वर साक्षी है।

BAJAJ FINANCE LIMITED

दिनांक

सत्यापनकर्ता

क्रमांक ... X ... दिनांक 26/02/2026 समय 10:30 AM
शपथगृहिता श्री आदित्य माथुर पिता का नाम ...
आयु 40 वर्ष जाति ... निवासी जयपुर ...
तह/थाना जयपुर ने पेश किया जिसे श्री ...
एडवाकेट ने पहचान किया। शपथ–पत्र पढ़कर सुनाया गया
तथा सही होना स्वीकार किया अतः शपथ पत्र तस्दीक
किया जाता है।

नोटेरी पब्लिक सीकर

Identified by me

PZ84PDB9133925

(8)

समक्ष माननीय न्यायालय जिला कलैक्टर महोदय,

सीकर जिला सीकर

प्रार्थना पत्र संख्या 100/2026

बजाज फाईनेन्स लि.

बनाम

सायरा बानू पत्नी हकीम व अन्य

प्रकरण का विवरण

1	फाइनैंन्स कम्पनी का नाम	बजाज फाईनेन्स लि.ऑफिस– बजाज आटो लि. कम्पलेक्स, मुम्बई पुणे रोड आकुरडी पुणे 411035 व ब्रांच ऑफिस – द्वितीय तल मैन रोड राजस्थान
2	ऋणी का नाम व पता	1. सायरा बानू पत्नी हकीम निवासी– वार्ड न. 03 लोसल छोटी सीकर 332025 अन्य पताः पटटा एस आर न. 148, वार्ड न. 04 तेलियो का मोहल्ला, लोसल तहसील दातारामगढ जिला सीकर 332025 विधिक उत्तराधिकारी– ऋणी स्व. हकीम पुत्र मोईनूद्धीन 2. अब्दुल करीम निवासी– वार्ड न. 03 लोसल छोटी सीकर 332025 अन्य पताः पटटा एस आर न. 148, वार्ड न. 04 तेलियो का मोहल्ला, लोसल तहसील दातारामगढ जिला सीकर 332025 विधिक उत्तराधिकारी– ऋणी स्व. हकीम पुत्र मोईनूद्धीन 3. अब्दुल अजीम निवासी– वार्ड न. 03 लोसल छोटी सीकर 332025 अन्य पताः पटटा एस आर न. 148, वार्ड न. 04 तेलियो का मोहल्ला, लोसल

BAJAJ FINANCE LIMITED

Prem

PZ84PDB9133925

		तहसील दातारामगढ जिला सीकर 332025 विधिक उत्तराधिकारी– ऋणी स्व. हकीम पुत्र मोईनूद्धीन 4. अब्दुल अमीन निवासी– वार्ड न. 03 लोसल छोटी सीकर 332025 अन्य पताः पटटा एस आर न. 148, वार्ड न. 04 तेलियो का मोहल्ला, लोसल तहसील दातारामगढ जिला सीकर 332025 विधिक उत्तराधिकारी– ऋणी स्व. हकीम पुत्र मोईनूद्धीन 5. शकीला बानू निवासी– वार्ड न. 03 लोसल छोटी सीकर 332025 अन्य पताः पटटा एस आर न. 148, वार्ड न. 04 तेलियो का मोहल्ला, लोसल तहसील दातारामगढ जिला सीकर 332025 विधिक उत्तराधिकारी– ऋणी स्व. हकीम पुत्र मोईनूद्धीन 6. शबनम बानू निवासी– वार्ड न. 03 लोसल छोटी सीकर 332025 अन्य पताः पटटा एस आर न. 148, वार्ड न. 04 तेलियो का मोहल्ला, लोसल तहसील दातारामगढ जिला सीकर 332025 विधिक उत्तराधिकारी– ऋणी स्व. हकीम पुत्र मोईनूद्धीन 7. जाजम बानू निवासी– वार्ड न. 03 लोसल छोटी सीकर 332025 अन्य पताः पटटा एस आर न. 148, वार्ड न. 04 तेलियो का मोहल्ला, लोसल तहसील दातारामगढ जिला सीकर 332025 विधिक उत्तराधिकारी– ऋणी स्व. हकीम पुत्र मोईनूद्धीन

BAJAJ FINANCE LIMITED

		8. सायरा पत्नी हकीम निवासी– वार्ड न. 03 लोसल छोटी सीकर 332025 सहऋणी
3	ऋण देने की दिनांक	14/Sep/23
4	ऋण दी गयी राशि	1680279/–
5	डिफाल्टर होने की दिनांक	31/Dec/2024
6	सिक्योरिटाईजेशन एक्ट के अन्तर्गत ऋणी/जमानती को रजिस्टर्ड नोटिस देने की तिथी	13/Oct/2025
7	ऋणी से वसूल की जाने वाली कुल राशि	रु 2054536. /–दिनांक 13/Oct/2025 तक ब्याज शामिल करते हुये तथा इसके आगे ब्याज व अन्य खर्चे
8	ऋण के बदले रहन रखी सम्पति का विवरण जिनका कब्जा लेना है।	सम्पति स्थित आवासीय पटटा एस आर न. 148 वार्ड न. 04 तेलियो का मोहल्ला लोसल तहसील दातांरामगढ जिला सीकर 332025 क्षेत्रफल 1886.91 वर्गफुट

दिनांक 26/02/2026

BAJAJ FINANCE LIMITED

प्रार्थी/सिक्योर्ड क्रेडिटर

नोटः– सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्सियल एसेटस एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटि इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 (1)अर्न्तगत उक्त प्रार्थना पत्र को निस्तारित करने की समय सीमा 30 दिन निर्धारित की गई है। किसी कारण से 30 दिन में प्रार्थना–पत्र निस्तारित नही हो पाता है तो 60 दिनों में निस्तारित करना तथा आदेश में विलम्ब के कारणों का उल्लेख करना आवश्यक है।

PZ84PDB9133925